कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांकः–2857/11–सी–FP/UP/water/150368/2021, लखनऊ, दिनांकः अप्रैल 08 ,2022

सेवा में,

वन संरक्षक,
चित्रकूटधाम वृत्त,
बाँदा।

विषयः– उ0प्र0 जल निगम द्वारा जल जीवन मिशन के अंतर्गत सलईंया–नाथूपुरा, लहचुरा–काशीपुरा, धवर्रा–सिजवाहा, शिवहर एवं कबरई ग्राम समूह पेयजल योजना में पेय जल पाइप लाइन बिछाने हेतु जिला–महोबा में प्रभावित 12.4869 हे0 संरक्षित एवं 1.9665 हे0 आरक्षित वनभूमि अर्थात कुल 14.4534 हे0 वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 375 वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति के संबंध में।

संदर्भः– आपका पत्रांक–2438/33–1, दिनांक 06.04.2022

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र के द्वारा विषयगत प्रकरण का प्रस्ताव इस कार्यालय को प्राप्त हुआ। प्रस्ताव के परीक्षणोपरान्त ऑनलाइन व हार्डकापी में निम्नलिखित कमियॉ/अभिलेखों का आभाव पाया गयाः–

1. प्रस्ताव में आरक्षित वनभूमि प्रभावित हो रही है। अतः प्रस्तावित आरक्षित वनभूमि का वर्तमान बाजार दर से मूल्य निश्चित कराकर मूल्य के बराबर प्रीमियम (वनभूमि का मूल्य) और प्रीमियम का 10 प्रतिशत वार्षिक लीज रेंट वन विभाग के पक्ष में भुगतान की वचनबद्धता जो प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित हो संलग्न नहीं है।
2. प्रस्ताव में परियोजना में प्रभावित होने वाली आरक्षित वनभूमि का लीज अवधि प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया है।
3. परियोजना में प्रभावित होने वाली आरक्षित वनभूमि के बदले प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा उपलब्ध करायी जा रही समतुल्य गैर वनभूमि का वन विभाग को उपलब्ध कराने की वचनबद्धता एवं सत्यापित खतौनी संलग्न नहीं है।
4. प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा आरक्षित वनभूमि के सापेक्ष दी जाने वाली गैर वनभूमि के सम्बन्ध में शासन के पत्रांक–वी0आई0पी0–23/14–2–2019–190 जी/2018, दिनांक 28.06.2019 के क्रम में उपजिलाधिकारी एवं प्रभागीय वनाधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है।
5. प्रस्ताव में प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष के पत्रांक–1428/11–सी, दिनांक 16.12.2020 के क्रम में क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल का DSS Analysis से सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी का प्रमाण पत्र, जो वन संरक्षक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित हो, संलग्न नहीं किया गया है।
6. प्रस्ताव में एन0पी0वी0 की गणना संलग्न है। इस सम्बन्ध में भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्र दिनांक 06.01.2022 द्वारा निर्गत संशोधित एन0पी0वी0 के आदेश के पैरा–4(vii) में उल्लिखित बिन्दुओं का परीक्षण कर एन0पी0वी देयता के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र संलग्न कर ऑनलाइन अपलोड करें।
7. भू–स्वामित्व वाले विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया है।
8. प्रस्ताव के पृष्ठ सं0–18 पर वन अधिकार अधिनियम–2006 के अन्तर्गत जिलाधिकारी का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने की वचनबद्धता संलग्न है, किन्तु वचनबद्धता प्रमाण पत्र पर प्रस्तावित वनभूमि की वैधानिक स्थिति गलत अंकित है। अतः प्रमाण पत्र में सही वैधानिक स्थिति अंकित कर संशोधित वचनबद्धता प्रस्ताव में संलग्न कर ऑनलाइन अपलोड करें एवं पूर्व का ऑनलाइन भाग–2 से डिलिट करें।
9. प्रस्ताव में विजय सागर पक्षी विहार का इको सेन्सिटिव जोन का गजट संलग्न नहीं किया गया है।
10. ऑनलाइन भाग–2 व हार्डकापी भाग–2 के District Profile में स्वीकृत प्रस्तावों की सं0 व अन्य विवरण भिन्न–2 फीड है। अतः एक समान विवरण फीड करें।
11. प्रभावित 1.9665 हे0 आरक्षित वनभूमि के सापेक्ष प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा दी जा रही समतुल्य गैर वनभूमि का Geo Referenced Digital Map, SoI Toposheet, kml file, उपयुक्तता प्रमाण पत्र एवं 10 वर्षों का अनुरक्षण सहित प्राक्कलन संलग्न नहीं है। अतः संलग्न कर अवनत वनभूमि एवं समतुल्य गैर वनभूमि पर वृक्षारोपण से सम्बन्धित Geo Referenced Digital Map, SoI Toposheet, kml file, उपयुक्तता प्रमाण पत्र एवं 10 वर्षों का अनुरक्षण सहित प्राक्कलन एक साथ अपलोड करें।
12. प्रस्ताव के साथ संलग्न पेनड्राइव में प्रस्तावित एवं क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित स्थलों की के0एम0एल0 फाइल एवं पूर्ण प्रस्ताव की पी0डी0एफ0 फाइल अपलोड कर संलग्न नहीं है। अतः उपरोक्त इंगित कमियों के निराकरण के पश्चात संशोधित प्रस्ताव की पी0डी0एफ0 फाइल एवं प्रस्तावित एवं क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित स्थलों की के0एम0एल0 फाइल पेनड्राइव में अपलोड कर तीनों प्रस्ताव में संलग्न करें।

Acy-386

अतः कृपया किसी कार्यदिवस में अपने कार्यालय प्रतिनिधि के द्वारा प्रस्ताव की 03 प्रतियॉ प्राप्त कराकर, इंगित कमियों का निराकरण के पश्चात् पूर्ण संशोधित प्रस्ताव इस कार्यालय को 03 प्रतियों में उपलब्ध करायें, ताकि आवश्यक कार्यवाही की जा सके।

भवदीय,

(अनुपम गुप्ता)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांकः– 2857 /11–सी–FP/UP/water/150368/2021, दिनांकित।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रभागीय वनाधिकारी, महोबा वन प्रभाग, महोबा।
2. अधिशासी अभियन्ता, जल निगम ग्रामीण, महोबा ।

(अनुपम गुप्ता)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

O/C

Acy-387